सं. ई-14011(11)/1/2019-हिन्दी/डीजीएचएस/...842

भारत सरकार

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(हिन्दी अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 06/01/2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को संपन्न हुई तिमाही बैठक के कार्यवृत्त का परिचालन।

महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2019-20 की तीसरी बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को श्री गुलाम मुस्तफा, निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं सदस्यों द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु संलग्न है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

(लक्ष्मी गर्ग)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी निदेशकगण (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति)।
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी उपनिदेशकगण (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति)।
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभाग/प्रभाग अधिकारी (सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति)।

प्रतिलिपि:

i. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के वरि. प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
ii. उप-महानिदेशक (प्रशा.), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निजी सचिव को सूचनार्थ।
iii. प्रभारी, आईटी प्रकोष्ठ, स्वा. सेवा महानिदेशालय को महानिदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

कृपया अपलोड करें

07/01/2020

दिनांक 23.12.2019 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 (गुरूवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे श्री गुलाम मुस्तफा, निदेशक महोदय की अध्यक्षता में रिसोर्स सेंटर, कमरा सं. 445-ए, निर्माण भवन में सम्पन्न हुई । इस बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक 'क' पर है । श्रीमती लक्ष्मी गर्ग, सहायक निदेशक (राजभाषा)-सह- सदस्य सचिव ने समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से समिति की कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति मांगी ।

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सहायक निदेशक (राजभाषा) ने दिनांक 27.09.2019 को आयोजित पिछली तिमाही बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि अनुभागों द्वारा प्रेषित हिन्दी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 30 जून को समाप्त तिमाही की तुलना में 30 सितम्बर को समाप्त तिमाही के दौरान हिन्दी के मूल पत्राचार और हिन्दी टिप्पणी के प्रतिशत में वृद्धि हुई है और पिछली बार की ही तरह समीक्षाधीन तिमाही में भी अनुभागों द्वारा धारा 3 (3) और नियम 5 का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

उन्होंने समिति को बताया कि कुछ अनुभागों द्वारा समय पर रिपोर्ट न भेजने के कारण महानिदेशालय की रिपोर्ट समेकित कर मंत्रालय भेजने में विलम्ब हो जाता है और फलस्वरूप तिमाही बैठक के आयोजन में भी अनावश्यक विलम्ब हो जाता है । अध्यक्ष महोदय ने इसे गंभीरता से लेते हुए उपस्थित सभी अनुभाग अधिकारियों को निदेश दिया कि वे हिन्दी प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजें । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यह रिपोर्ट पूरी गंभीरता के साथ भरी जाए और रिपोर्ट व उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी अपने स्तर पर आंकड़ों की सत्यता की जांच करें ताकि कोई तथ्यात्मक त्रुटि न रहे ।

इस तिमाही बैठक में सदस्यों की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसे सभी सदस्यों को गंभीरता से लेना चाहिए । यदि महानिदेशालय की इस समिति के सदस्य- अधिकारी ही इस बैठक के प्रति उदासीन होंगे तो राजभाषा कार्यान्वयन संभव नहीं हो पाएगा । उन्होंने निदेश दिया कि सभी अनुपस्थित सदस्यों को पत्र लिखा जाए कि भविष्य में वे इस बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लें । उन्होंने यह भी निदेश दिया कि यदि किसी भी अनुभाग को हिन्दी प्रगति रिपोर्ट भरने में या राजभाषा कार्यान्यवयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो वे बेझिझक हिन्दी अनुभाग से संपर्क कर इसका समाधान पूछें ।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग/एकक एवं हिन्दी अनुभाग)

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पश्चात् और इस पर कोई आपत्ति न होने से पिछली बैठक की कार्रवाई की सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई ।

<u>महानिदेशालय के अनुभागों/एककों से प्राप्त दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की निम्नलिखित बिंदुओं पर समीक्षा:</u>

- <u>राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन:</u> सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभागों/ एककों की रिपोर्टों के अनुसार धारा 3 (3) का पूर्णतया अनुपालन किया गया है । उन्होंने दोहराया कि उक्त धारा के अधीन जारी होने वाले 14 प्रकार के दस्तावेज जैसे <u>संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेद, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र, संविदा और करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूप</u> को द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) रूप में एक साथ जारी किया जाना न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि बाध्यकारी भी है ।

राजभाषा नियमों के आलोक में महानिदेशालय में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए स्थापित जांच-बिन्दु के अनुसार धारा 3 (3) के कागजात पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का यह दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि इस धारा के अंतर्गत आने वाले कागज़ात अनिवार्य रूप से एक साथ हिन्दी और अंग्रेजी में जारी हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय ने इस धारा की शत-प्रतिशत अनुपालन पर सभी अनुभागों/एककों की प्रशंसा की और निदेश दिया कि सभी अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में भी इस धारा का कोई उल्लंघन न हो ।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग)

- <u>राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन:</u> सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को बताया समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभागों/एककों द्वारा इस नियम का पूर्णतया पालन किया गया है जिसके तहत हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही देना अनिवार्य है । इस नियम के शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभागों/एककों की सराहना की ।

- <u>मूल हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पणियों का प्रतिशत:</u> सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि पिछली तिमाही की तुलना में समीक्षाधीन तिमाही के दौरान महानिदेशालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से किए गए मूल हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पणी के प्रतिशत में वृद्धि हुई है । यद्यपि, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कुछ अनुभागों में मूल हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पणी के प्रतिशत में आयी अप्रत्याशित वृद्धि या गिरावट की ओर समिति का ध्यान आकृष्ठ किया । इस पर निदेशक महोदय ने पुन: सभी अनुभागों को निदेश दिया कि वे तिमाही रिपोर्ट भरने में पूरी गंभीरता और सतर्कता बरतें ।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग/एकक)

- सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार जनवरी, 2020 से महानिदेशालय के अनुभागों का राजभाषीय निरीक्षण किया जाएगा । अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई ।

(कार्रवाई: हिन्दी अनुभाग)

- सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति को राजभाषा नियम, 1976 की धारा 8(4) की जानकारी दी कि इस नियम के तहत ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

  सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बताया कि इस नियम के तहत दिनांक 20.05.2014 को महानिदेशालय के पत्र सं. ई.11027/01/ 2014-हिन्दी के माध्यम से महानिदेशालय के 10 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया था । अब इसकी समीक्षा करते हुए पुन: यह कार्य किया जाना है । अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति जताई ।

(कार्रवाई: हिन्दी अनुभाग)

अंत में, अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए अनुरोध किया कि राजभाषा संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में सभी अपना सक्रिय और सार्थक योगदान देंगे अपने सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे ।

****

अनुलग्नक- 'क'

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23.12.2019 को आयोजित तिमाही बैठक

उपस्थिति पत्रक

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	अनुभाग/प्रभाग/प्रकोष्ठ का नाम
1	गुलाम मुस्तफा, निदेशक एंव अध्यक्ष	
2	वी. प्रसाद, उपनिदेशक	एम.एच.
3	अमित चौबे, उपनिदेशक	ए. एंड. वी.
4	जितेन्द्र सिंह, उपनिदेशक	प्रशासन
5	जुबैर अहमद खाँ, उपनिदेशक	प्रापण
6	सुमित्रा डबराल, अनुभाग अधिकारी	रोकड़-2
7	समर मजूमदार, अनुभाग अधिकारी	एम.जी. अनुभाग
8	रोबेर्टीना टोप्पो, अनुभाग अधिकारी	सी.बी.एच.आई.
9	सुनीता भाटिया, अनुभाग अधिकारी	आर.टी.आई/ओ. एंड एम.
10	मुकेश कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी	एम.एच.-2
11	राजीव जायसवाल, अनुभाग अधिकारी	प्रशासन-1
12	नरेश कुमार जैरथ, अनुभाग अधिकारी	एन.सी.डी.
13	भास्कर सान्याल, अनुभाग अधिकारी	पी.एच.सी.डी.एल.
14	बिरेन्द्र सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी	एम.एच.-3
15	सतीश कुमार, अनुभाग अधिकारी	कुष्ठ अनुभाग
16	सुखनन्दन ढौंडियाल, अनुभाग अधिकारी (कंसल्टेंट)	पी.एच.(आई.एच.)
17	विनोद कुमार, अनुभाग अधिकारी (कंसल्टेंट)	ए. एंड. वी.
18	देवराज, सहा. अनुभाग अधिकारी	प्रशासन-1
19	आशीष वर्मा, सहा. अनुभाग अधिकारी	आर.डी. प्रकोष्ठ
20	सुभांशु शेखर बारीक, सहा. अनुभाग अधिकारी	पी.एच.सी.डी.एल.
21	संतोष कुमार सिन्हा, सहा. अनुभाग अधिकारी	रोकड़-1
22	भोला नाथ दास, सहा. अनुभाग अधिकारी	प्रशासन-2
23	किशोर कुमार, सहा. अनुभाग अधिकारी	ई.एम.आर. प्रकोष्ठ
24	सुशांत कुमार, कनि. सांख्यिकीय अधिकारी	आर.डी. प्रकोष्ठ
25	रितिक कुमार झा, कनि. सांख्यिकीय अधिकारी	एम.एच.-1
26	जगमोहन चतुर्वेदी, प्रवर श्रेणी लिपिक	एम.ई. अनुभाग
27	रवि कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर	ई.पी.आई.
28	लक्ष्मी गर्ग, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव	हिन्दी अनुभाग